रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II —खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 374] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 9, 1972/श्रावण 18, 1894
No. 374] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 9, 1972/SRAVANA 18, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 1972

S. O. 537(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 63A of the Motor Vehicles Act, 1939 (4 of 1939), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 1618, dated the 11th April, 1969, the Central Government hereby reconstitutes the Inter-State Transport Commission, as follows :—

(1)	Shri N. R. Reddy, Joint Secretary, Ministry of Shipping and Transport, Government of India.	Chairman
(2)	Shri V. C. Rajagopal, Director, Traffic (Commercial), Ministry of Railways (Railway Board)	Member
(3)	Dr. N. V. A. Narasimham, Director, Transpot Research, Ministry of Shipping & Transport	Member
(4)	Shri Kewal Krishan, Chief Engineer, Public Works Department, (Building and Roads, Patiala), Punjab	Member

[No. 23-T (11)/67]

K. SIVARAJ, Jt. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1972

एस० ओ० 537(अ).—मोटरगाडी अधिनियम, 1939 (1939 का 3) की धारा 63 ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) में भारत की सरकार अधिसूचना सं० सा० आ० 1618 दिनांक 11-4-69 का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अन्तर्राज्यीय परिवहन आयोग का पुनर्गठन करती है, जो निम्न प्रकार है :

1 श्री ए० आर० रेड्डी संयुक्त सचिव, नौवहन और परिवहन मंत्रालय भारत सरकार	अध्यक्ष
2 श्री बी० सी० राजगोपाल निदेशक, यातायात (वाणिज्यिक) रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड)	सदस्य
3 डा० एन० वी० ए० नर्सिहम निदेशक, परिवहन अनुसंधान, नौवहन और परिवहन मंत्रालय	सदस्य
4 श्री केवल कृष्ण, मुख्य इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, (भवन तथा पथ पटियाला) पंजाब	सदस्य

[सं० 23-टी (11)/67]

के० शिवराज, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972